उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 244वीं बैठक
दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 244वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री मुकुल सिंहल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री मुकुल सिंहल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री धीरज साहू	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री महेन्द्र कुमार	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आ0वि0प0	सचिव
4–	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री अजय कुमार मिश्रा	नगर नियोजक, प्रतिनिधि सी0टी0सी0पी0, उ0प्र0	सदस्य
6–	श्री मुकुल जोशी	उप निदे.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
7–	श्री विनीत प्रकाश	उपसचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, नगरविकास	सदस्य
8–	श्री संजय कुमार मिश्र	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
9–	श्री पी.सी. पाण्डेय,	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि ल0वि0प्राधिकरण	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
244 / 1	परिषद की 243वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 243वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2017 की पुष्टि की गयी।
244 / 2	परिषद की 243वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2017 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 243वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2017 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

लेखा अनुभाग

244 / 3	आयकर अधिनियम–1961 की धारा–10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वांछित फार्म–10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244 / 4	परिषद की वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के संबंध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह मत स्थिर हुआ कि परिषद द्वारा किये जा रहे आन्तरिक सम्परीक्षण के साथ–साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से भी कन्रेन्ट ऑडिट करा लिया जाये। परिषद द्वारा नई कॉस्टिंग गाइड लाईन तैयार की जाये, जिसको सचिव, वित्त नियंत्रक तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार करेंगे व इसकी अध्यक्षता सचिव द्वारा की जायेगी।
244 / 5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) घटक के अन्तर्गत योजना के राज्यांश हेतु हडको से ऋण लिये जाने संबंधी प्रस्ताव जो मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.10.17	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	को परिचालन के माध्यम से अनुमोदित है, को मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।	

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

244/6	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रस्तर–26.1(ii) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चतुर्थ वृत्त, कानपुर के अधीन परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव यह मत स्थिर हुआ कि आवास आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष (गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर) एवं उक्त जिलों के नगर आयुक्तों तथा मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक स्तर की एक समिति गठित कर प्रकरण का परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।
244/7	शासनादेश को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में (भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के संबंध में)	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

244/8	वृन्दावन योजना सं0–2, भाग–1, लखनऊ के सेक्टर–3 में प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स हेतु एस0ई0आई0ए0ए0 इनवायर–मेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 तथा आर्कीटेक्चरल कन्सलटेन्सी के भुगतान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

244/9	आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–ई–1 जी.एच.–1 से सम्बन्धित एवं मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–20389/2017 अर्थकॉन कांस्ट्रक्शन प्रा0लि0 व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2017 के अनुपालन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–24.8.2017 के अनुपालन में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा याची की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी, जिसमें याची द्वारा तर्क दिया गया कि किसान आन्दोलन की अवधि के दौरान निर्माण कार्य अवरूद्ध रहने की वजह से दिनांक–11.03.2011 से दिनांक 31.05.2016 की समस्त देयता को शून्यकाल घोषित किया जाये, लेकिन सुनवायी के उपरांत यह पाया गया कि याची द्वारा प्रथम मानचित्र स्वीकृति दिनांक–21.03.13एवं द्वितीय बार मानचित्र स्वीकृति दिनांक 31.08.15 प्राप्त कर ली गयी थी, लेकिन वास्तविक रूप से निर्माण की स्थिति में याची खनन की अनुमति 22.09.15 से 21.12.15 के समायावधि में प्राप्त किया गया था तभी वह निर्माण की स्थिति में आया था। जबकि वास्तविक रूप से मौके पर किसान आंदोलन के कारण कार्य अवरूद्ध रहने की स्थिति दिनांक 06.11.15 से 10.04.16 तक विधिमान बनती है। अतएव प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के अवलोकनोपरान्त शून्यकाल की अवधि दि0 6.11.2015 से 10.4.2016 तक कार्यपूर्ण अवरूद्ध रहने की स्थिति

		विधिमान बनती है जिसकी शून्य काल अवधि की गणना में रू 58,07,505.00(रू0 अठ्ठावन लाख सात हजार पॉच सौ पॉच) आगणित हुई। याची पर परिषद की जो देयता दिनांक 30.11.2017 को रू0 30,50,05,386.00(रू0 तीस करोड़ पचास लाख पॉच हजार तीन सौ छियासी) को याची यदि 05 समान सव्याज त्रैमासिक किश्तों में सम्पूर्ण धनराशि चुका देता है। तो वह शून्यकाल की अवधि का व्याज की धनराशि का अनुतोष पाने का पात्र होगा। यह आदेश उभय पक्षो पर बाध्यकारी होगा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण आदेश निर्गमन हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया गया।
244 / 10	आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड सं0 ई–1 / काम–1 से सम्बन्धित एवं मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–21615 / 2017 मैसर्स एसीलीन कन्स्ट्रक्शन एण्ड कालोनाइजर्स प्रा0लि0 व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07. 10.2017 के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–26.09.2017 के अनुपालन में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा याची की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि याची द्वारा स्थल पर निर्माण करवाना होता तो मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया होता जिससे उसका स्थल पर निर्माण कराने का आशय स्पष्ट जाहिर होता, लेकिन याची द्वारा स्थल पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन ही नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि याची का मौके पर निर्माण कार्य कराने का आशय ही नही है। इसलिए यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि किसान आंदोलन के कारण याची को निर्माण कार्य कराने में कोई बाधा रही हो। उक्त के दृष्टिगत याची / फ़र्म को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने हेतु पात्र नहीं पाया गया। याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण आदेश निर्गमन हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया गया।
244 / 11	आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड सं0 ई–2 / काम–2ए (पेट्रोल पम्प) से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या–27463 / 2017 सूरज श्रीवास्तव व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य प्रमुख सचिव आवास, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि प्रकरण का पुनर्परीक्षण करके सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाये।
244 / 12	आम्रपाली योजना, लखनऊ स्थित प्रीमियम भूखण्ड सं0 ई–5 / पी.एच.–1 से सम्बन्धित एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका सं0 25739 / 2017 श्रीमती मंजू शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2017 के अनुपालन में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा याची की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट

	उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित निर्णय दि0 30.10.2017 के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।	होता है कि याची द्वारा स्थल पर निर्माण करवाना होता तो मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया होता जिससे उसका स्थल पर निर्माण कराने का आशय स्पष्ट जाहिर होता, लेकिन याची द्वारा स्थल पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन ही नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि याची का मौके पर निर्माण कार्य कराने का आशय ही नहीं है। इसलिए यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि किसान आंदोलन के कारण याची को निर्माण कार्य कराने में कोई बाधा रही हो। उक्त के दृष्टिगत याची/फर्म को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने हेतु पात्र नहीं पाया गया। याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण आदेश निर्गमन हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया गया।
244/13	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्वयं वित्त पोषित (जी+3) परियोजना–2013 के निर्मित 2016 नग फ्लैटो/भवनों के मूल्यांकन में भूमि दर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

244/14	परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम घुसवलकलॉ स्थित खसरा संख्या–306 कुल रकबा 0.566 हेक्टेयर भूमि में से नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त/समायोजित की गयी 0.466 हेक्टेयर भूमि का आसुधार शुल्क लेने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
244/15	इटावा नगर में प्रस्तावित सूत मिल आवासीय योजना, इटावा के धारा–28 हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/16	जनपद–मेरठ के ग्राम–लिसाड़ी में परिषद की नई योजना क्षेत्रफल 5.3010 हे0 भूमि पर संचालित किये जाने हेतु धारा–28 के नोटिस का गजट प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/17	पी0आई0एल0 सं0–54096/2010 सुलेमान डबास बनाम डायरेक्टर वाईल्ड लाईफ प्रिजर्वेशन, नई दिल्ली व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का विधिक परीक्षण करवा लिया जाय।
244/18	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–2 एवं	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	योजना संख्या–3, लखनऊ में स्थित 30 मीटर चौड़ी पेरिफेरियल सड़क पर स्थित 03 नग अवैध निर्माणों में से 01नग अवैध निर्माण का समायोजन होने के उपरान्त शेष अन्य अवैध निर्माण को हटाने/समायोजन के संबंध में।	
244/19	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–2 एवं योजना संख्या–3, लखनऊ में स्थित 30 मीटर चौड़ी पेरिफेरियल सड़क पर स्थित 03 नग अवैध निर्माणों में से 01नग अवैध निर्माण का समायोजन होने के उपरान्त शेष अन्य अवैध निर्माण को हटाने/समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

244/20	वर्ष 2016–17 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

244/21	श्री बलवन्त सिंह, सेवा निवृत्त, अवर अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मुख्यालय वृत्त

244/22	परिषद द्वारा अवध विहार योजना, लखनऊ में निर्मित अवध शिल्पग्राम में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं हेतु किराये की दरों का निर्धारण एवं इनका संचालन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

244/23	ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/24	परिषद में अनिस्तारित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/25	आवंटन/नीलामी समिति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

244/26	गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 में निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा वहन किये जाने वाली धनराशि/अंशदान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में दिये गये विकल्प–2 के अनुसार कार्यवाही किया जाय तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उसके मांग के अनुसार रू0 40 करोड़ प्रतिमाह की दर से धनराशि अवमुक्त कि जाये। परन्तु प्रत्येक 3 माह में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

244 / 27	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित (जी+3) ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244 / 28	उ0प्र0 सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा विनियमावली 2014 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी के संबंध में आवास आयुक्त की सचिव एवं वित्त नियंत्रक से वार्ता के उपरान्त यह पाया गया कि उक्त में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है।
244 / 29	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष